<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>
उपस्थितः–राजेश कुमार सिंह, (एच०जे०एस०), Id.No.UP02017
दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–25/2026

(CNR No.UPBH010004052026)

हरिओम शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा आयु 40 वर्ष पुत्र गिरजा शंकर शर्मा, निवासी ग्राम–धनावा, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच––– ––––पुनरीक्षणकर्ता।

प्रति

1–सरकार उत्तर प्रदेश जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, बहराइच।
2–राजवन्ती उर्फ सुनीता पत्नी स्व० रामगोपाल गौतम, निवासी ग्राम–बकैना, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच।

––––––विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान सिविल जज(प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–5867/12/2025, हरिओम शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा प्रति राजवती उर्फ सुनीता, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच में पारित आदेश दिनांकित–16.01.2026, के विरुद्ध संस्थित किया गया है।

2. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण की उत्पत्ति निम्नलिखित तथ्यों के अधीन हुई हैः–

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज(प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी०, बहराइच में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षिनी राजवती उर्फ सुनीता के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, राजवती उर्फ सुनीता ने दिनांक–25.02.2018 की घटना दिखाकर तथा स्वयं को हरिजन उपजाति(चमार) महिला दिखाकर उसके व एक अन्य के विरुद्ध बलात्कार व भद्दी–भद्दी जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाकर थाना–खैरीघाट, बहराइच, पुलिस अधीक्षक, बहराइच को सूचना देने का उल्लेख करते हुए न्यायालय के समक्ष दिनांक–19.03.2018 को प्रार्थना–पत्र दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया, जिसके अनुपालन में मुकदमा अपराध सं०–218/2018, अन्तर्गत धारा–376 डी, 506 भा०द०सं० व 3(2) V एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना घटना असत्य पाते हुए विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। उच्चाधिकारियों द्वारा बार–बार विवेचना करवाने के बावजूद अन्तिम रिपोर्ट की पुष्टि की गयी तथा न्यायालय के आदेश पर अग्रिम विवेचना होने के उपरान्त भी घटना होना न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी। प्रथम सूचिका राजवती उर्फ सुनीता की जाति के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रार्थना–पत्र तहसीलदार महसी को दिया गया, जिस पर जांचोपरान्त राजवती उर्फ सुनीता की जाति भुर्जी पायी गयी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार उक्त प्रथम सूचिका द्वारा अपने को अनुसूचित जाति का सदस्य बताकर तथा बलात्कार जैसी गम्भीर घटना गढ़कर उसको शारीरिक व मानसिक व सम्पत्ति क्षति कारित करने के उद्देश्य से मिथ्या आरोप लगाया है तथा न्यायालय के समक्ष जान–बूझकर झूंठा आवेदन प्रस्तुत किया। राजवती उर्फ सुनीता द्वारा अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए शासन से एक लाख रूपये छल द्वारा प्राप्त कर लिया है, जिसकी वसूली कराया जाना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उसने प्रार्थना–पत्र थाना खैरीघाट में व पुलिस अधीक्षक बहराइच

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.04.09 16:25:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को दिया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान सिविल जज(प्रवर खण्ड)/एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया और मामले में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को दिनांक–16.01.2026 को निरस्त कर दिया है, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण में धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में यह आधार लिये गये हैं कि, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.01.2026 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों को दृष्टिगत न रखकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना किया कि पुनरीक्षण स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.01.2026 अपास्त किया जावे तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

5. विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता, विधि विरुद्धता प्रकट नहीं होती है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मात्र विपक्षी सं०–2 को हैरान, परेशान करने तथा रंजिश के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० मनगढन्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विपक्षी सं०–2 के विरुद्ध लगाये गये समस्त अपराध फर्जी, निराधार हैं। अत्एव पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पुनरीक्षण पत्रावली एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

7. वर्तमान मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर यह निष्कर्ष अवधारित किया है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में न्यायालय से कूटरचित व मिथ्या प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावत कथन अंकित किया गया है तथा प्रश्नगत मुकदमे में विपक्षी द्वारा धनराशि छल द्वारा प्राप्त किये जाने के बावत कथन किया गया है, जिसके बावत यहां उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक कथित न्यायालय में कूटरचित, मिथ्या प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत होने आदि से व्यथित है, तो उक्त के बावत वह सम्बन्धित न्यायालय में प्रक्रियात्मक आपराधिक विधि के अधीन विधि–सम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय द्वारा आवेदक के उक्त कथनों के बावत किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता और आवेदक का उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में न्यायालय में कूटरचित, मिथ्या प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावत कथन अंकित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को सम्बन्धित न्यायालय में उचित प्रक्रिया अपनाये जाने का अधिकार प्राप्त है।

9. अतः विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त निष्कर्ष तथा मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतएव प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। विद्वान सिविल जज(प्र०ख०)/ एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित– 16.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति सहित अविलम्ब वापस की जाये।

पुनरीक्षण पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत की जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
दिनाँकः 09.04.2026 सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.UP02017

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उदघोषित किया गया।

(राजेश कुमार सिंह)
दिनाँकः 09.04.2026 सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.UP02017